(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमाक II / निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 2604 / विरूद्ध आदेश दिनांक 04.08.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया म0प्र0, प्र0क0 100 / अपी0 / 13–14

1. श्री प्रीतम शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन शर्मा
2. राममिलन शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन शर्मा
3. उदयनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन शर्मा
   समस्त निवासीगण उनाव
   तहसील व जिला दतिया म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वर प्रसाद मृत द्वारा वारिसान –
1. सुनील पुत्र स्व0 रामेश्वरप्रसाद
2. आनन्द उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 रामेश्वरप्रसाद
3. श्रीमती शशी पुत्री स्व0 रामेश्वरप्रसाद
   समस्त निवासीगण उनाव
   तहसील व जिला दतिया म0प्र0
   .....असल / अनावेदकगण
4. देवेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मदनमोहन शर्मा
5. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 श्री मदनमोहन शर्मा
   निवासीगण उनाव
   तहसील व जिला दतिया म0प्र0
   .....तरतीवी / अनावेदकगण

.....

श्री विनोद भार्गव अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एम0पी0 भटनागर अभिभाषक – अनावेदकगण

::आदेश::

(आज दिनांक 16 / 03 / 18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्र0क0 100 / अपी0 / 13–14 के अन्तरिम आदेश दिनांक 04.08.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम उनाव तहसील व जिला दतिया स्थित सर्वे कमांक 1184/1 रकबा 1.28 एकड अर्थात 0.518 हे0 पर आवेदकगण के पिता मदनमोहन पिता हल्कू शर्मा का सन् 1972 से पट्टे के आधार पर क़ब्जा होने के आधार पर तहसील न्यायालय दतिया का प्रकरण क0 13/बी—121/91—92/ में पारित आदेश दिनांक 13.03.92 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने का आदेश दिया। मदनमोहन द्वारा दिनांक 22.03.93 को उक्त आराजी पर संहिता की धारा 109/110 के तहत नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर प्र0क0 03/अ—46/92—93/ में पारित आदे । दिनांक 10.09.93 द्वारा उक्त भूमि पर आवेदकगण के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने का आदे । दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण के वारिसानों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष 25 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने पर प्र0क0 100/अपी0/13—14 पंजीबद्ध किया गया। अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त आदेश की जानकारी उसे दिनांक 20.02.2014 को उस समय हुई जब आवेदकगण उनके पास आया तथा बताया कि उक्त भूमि उसने अपने नाम करा ली है। तब जानकारी प्राप्त कर दिनांक 22.02.14 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 07.03.14 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। 25 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.08.17 द्वारा जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि मान कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियम करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3— आवेदकगण की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 मृत हो गये हैं परन्तु उनका नाम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में नहीं हटाया गया। आवेदक के आवेदन पर अनावेदक कमांक 2 का नाम डिलीट किया जाता है। उन्होने मुख्य रूप से बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया व समाचार पत्र में भी उसका प्रकाशन कराया गया। इस तथ्य की जानकारी अनावेदकगण को थी। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.93 से निरन्तर अभिलेखों में नाम भूमिस्वामी के रूप में चला आ रहा है। प्रत्येक भूमिस्वामी को उनके द्वारा धारित भूमि की ऋणपुस्तिका प्रदान की जाती है एवं उनके द्वारा भू—राजस्व का भुगतान किया जाता है। क्या अनावेदक द्वारा कभी भू—राजस्व एवं लगान अदा नहीं किया गया अर्थात यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को उक्त भूमि के भूमिस्वामियों की जानकारी नही थी। 25 वर्ष का असाधारण विलम्ब क्षमा नही किया जा सकता। उनके द्वारा विलम्ब का कोई समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अन्दर अवधि मानकर त्रुटि की है। अनावेदकगण की असावधानी एवं लापरवाही के कारण भी विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस विन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक

त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विन्दु पर विचार नहीं किया गया कि परिसीमा जहां एक ओर अधिकार नष्ट करती है वहीं दूसरी ओर सारवान अधिकार सृजित करती है अर्थात आवेदकगण के विधि के प्रभाव से लगभग 25 वर्ष की अवधि के सारवान अधिकार सृजित हो गये है। ऐसी स्थिति में विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी मे आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त कर निगरानी स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

4— अनावेदकगण की ओर से श्री एम0पी0 भटनागर अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा मुख्य रूप से बताया गया कि उक्त आदेश की जानकारी उसे दिनांक 20.02.2014 को उस समय हुई जब आवेदकगण उनके पास आया तथा बताया कि उक्त भूमि उसने अपने नाम करा ली है तब जानकारी प्राप्त कर दिनांक 22.02.2014 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 07.03.14 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद होने से अनुविभागीय अधिकारी ने सही मान्य कर निर्णय दिया है। अनावेदकगण के पिता अनपढ एवं निरक्षर होने से विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हुई। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन निराधार होने से निरस्त करने का अनुरोध किया।

5— उभय पक्ष अभिभाषक के तर्को पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग दतिया की प्रकरण पत्रिका का परिशीलन किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग दतिया के प्रकरण कमांक 100/13—14/अपीलीय/ के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाते हुए कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत उनाव तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क0 03/92—93/अ—46 में आदेश पारित करने के पूर्व वर्तमान अनावेदकगण को सूचित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण मे आदेश दिनांक 10.09.93 पारित किया गया है। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अनावेदकगण/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के आवेदनपत्र को अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 04.08.2017 से अपील अन्दर अवधि मान्य करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने हेतु प्रकरण में दिनांक 08.08.2017 अन्तिम सुनवाई हेतु पेशी नियत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) दतिया के प्र0 क0 100/13—14/अपील में नस्ती पृष्ठ 10—11 पर संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्र0 क0 100/13—14 /अपील में दिनांक 10.08.2017 को अन्तिम आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्र0क0 100/13—14 /अपील में पारित अन्तरिम आदेश

दिनांक 04.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन स्वतः सारहीन हो जाता है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभय पक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर